



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D.Haldwani.

(Phone/Fax) : 05946-223352

E-mail- ee ndhal@rediffmail.com

पत्रांक 2523 / 45

दिनांक 30 / 10 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषय :- जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग से बोरपुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 08888 हेक्टर आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/8636/2014)

सन्दर्भ :- E.D.S. दिनांक 09.10.2017

महोदय,



उपरोक्त विषयक सन्दर्भित दिनांक 17.08.2017 के E.D.S. के अनुपालन में सूचना बिन्दुवार प्रश्न उत्तर के प्रारूप में निम्नवत् प्रेषित है:-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point no 1, short narrative is still not providing adequate information	अंकित कर दिया गया है।
2	In reply to point no 2 the component wish breakup is still not providing adequate information. Instead of giving road section wish breakup, component wise breakup for components like road, dumping site etc. may be provided.	Component wish breakup पूर्व में अंकित किया जा चुका है मार्ग निर्माण के दौरान मलुवे का उत्पादन एवं Dumping किये जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूकि उक्त मार्ग का निर्माण मैदानी क्षेत्र में किया जाना है मार्ग निर्माण में समतलीकरण हेतु अतिरिक्त मिट्टी की आवश्यकता होगी।
3	In reply to point no. 3 the certificate of barest minimum forest land used for the project is found uploaded at para-D in place of proper justification for the construction of proposed road in forest land when private land is visible in the KML file.	विषयगत मार्ग निर्माण के समरेखण में काश्तकारों के पास छोटी-छोटी भूमिधरी होने एवं इसी भूमिधरी से जीविकोपार्जन होने के कारण काश्तकारों के द्वारा निजि भूमि नहीं दी जा रही है। जिस कारण निजि भूमि का भू-अधिग्रहण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त मार्ग के निर्माण से भविष्य में वन भूमि में अतिक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

कमश: पृष्ठ 2 पर

(Signature)

क्र०सं 0	प्रश्न	उत्तर
4	In reply to point no. 5 the data regarding working plan prescription given at para-5 of part II is incomplete.	वन विभाग से सम्बन्धित।
5	In reply to point no. 7, the revised inspection report and recommendations are not uploaded at para 15 & 16 online part-II.	वन विभाग से सम्बन्धित।
6	The reply to point no. 8 Signed copy of part-5 is not attached in the hard copy.	वन विभाग से सम्बन्धित।



(रणजीत सिंह)
अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)। 

पत्रांक _____ / _____

दिनांक _____ / _____ / 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्द्रानगर, फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।


अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।